Online proposal No. FP/UP/Others/157199/2022 (Wildlife clearance)

<u>Justification for locating the project in protected Area</u>

(बिन्दु–D)

शासनादेश संख्या 2002/14–ख–187/53 दिनांक 11.06.1970 द्वारा श्री शुकदेव आश्रम सेवा संघ मुजफ्फरनगर को बागवानी, वृक्षारोपण एवं गौ गृह निर्माण हेतु 5 एकड़ (2.0243हे0) भूमि (दिनांक 1.01.1950 से 31.12.1979 तक 30 वर्षो के लिये इस शर्त पर लीज पर दी गयी थी कि उतनी ही अवधि के लिये पट्टे का दो बार नवीनीकरण किया जायेगा।

इस प्रकार वर्ष 1.01.1950 से 31.12.1979 तक लीज समाप्ति के उपरान्त क्रमशः 1.01.1980 से 31.12. 2009 तथा 1.12.2010 से 31.12..2040 तक उक्त शासनादेश दिनांक 11.6.1970 में किये गये प्राविधानों के अनुसार लीज नवीनीकरण हेतु ऑफलाइन प्रस्ताव सक्षम स्तर को प्रेषित किये गये, इस कम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यजीव डिवीजन) नई दिल्ली के पत्रांक F.No.6-25/2021WL dated 8-7-2021 द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गयेः–

"Kindly attention is invited to this office letter dated 22-11-2018 regarding the mandatory online submission of proposals of through PARIVESH seeking for Wildlife, Clearance. In this regard it is requested to kindly apply through online portal PARIVESH (parivesh.nicin) with clear map & KML files/Shape files for consideration of Standing Committee of NBWL."

उक्त निर्देशों के अनुपालन में ऑनलाइन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, उल्लेखनीय है कि शासकीय विज्ञप्ति संख्या 3782/14–3–57–84 दिनांक 03.07.1986 द्वारा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार उदघोषित किया गया है, उक्त उदघोषणा के अनुसार उक्त वर्णित लीज क्षेत्र हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है। चूंकि आलोच्य लीज हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की उदघोषणा से पूर्व लीज पर दी गयी थी, इसलिये लीज नवीनीकरण औचित्य पूर्ण है।

(स्वामी ओमानन्द ब्रह्मचारी)
संरक्षक
श्री शुकदेव आश्रम स्वामी कल्याण देव सेवा ट्रस्ट
शुक्रताल, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर